Statement-II

Benefits from the Scheme implemented in North Eastern region

S.No.	Scheme	No. of farmers benefitting	No. of Instts. benefitting	Area convered
1.	Machinery	246 tractors (as on 1.4.98)		
2.	Plant Protection	11640	338 Farmers' Field Schools	
3.	Pulses Dev.	4,03,916		
4.	Oilseeds Dev.	46,286		
5.	Shifting cultivation	45,299 families		
6.	Rivervally			29030 ha.
7.	NWDPRA			157299 ha.
8.	Jute Dev.	2154 (Trg.)		
9.	Cooperation	Women Cooperatives 177 Weaker section Coop. 120		
10.	Extension	13,383		

3. In respect of schemes implemented in Crops. horticulture, RFS Seeds, Fertilizer Credit and Plant Protection Divisions, the number of beneficiaries cannot be easily ascertained as the schemes are either area specific or subsidy oriented.

प्राकृतिक आपदाओं का निवारण

3230. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी;

(ख) क्या उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) प्राकृतिक आपदाएं अपरिहार्य घटना है। तथापि, तैयारी एवं न्यूनीकरण कार्यक्रम शुरू करके इनके प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आपदा राहत कोष की राशि में से राहत प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है जिसके लिए केन्द्र तथा संबंधित सरकार द्वारा वार्षिक रूप से 3:1 के अनुपात में अंशदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अत्यन्त गम्भीरता वाली आपदाएं आने पर राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में से सहायता प्रदान की जाती है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत राज्यों को क्रमशः 1570.63 करोड़ रुपए और 1541.08 करोड़ रुपए की राशि आबंटित/निर्मुक्त की गई।

(ख) और (ग) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत आबंटित/निर्मुक्त की गई एवं राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 और विवरण 2 में उल्लिखित है (नीचे देखिए)।

विवरण-1

1996-97 के दौरान आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का उपयोग

(रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	राज्य	वार्षिक आपदा राहत कोष	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से निर्युक्तियां	उपलब्ध कुल राशि	उपयोग की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	124.19	163.00	69.86	281.31
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.04	13.00	5.28	9.26
3.	असम	50.01	21.00	37.51	1.99
4.	बिहार	51.96	28.00	38.97	62.89
5.	गोवा	1.07		0.80	0.40
6.	गुजरात	139.60		104.70	147.96
7.	हरियाणा	25.05		18.79	89.16
8.	हिमाचल प्रदेश	26.95	10.56	20.21	29.03
9.	जम्मू व कश्मीर	19.71		14.78	8.69
10.	कर्नाटक	41.85		31.39	40.39
11.	केरल	55.40		20.78	54.90
12.	मध्य प्रदेश	51.08		38.31	56.87
13.	महाराष्ट्र	68.20		51.15	24.63
14.	मणिपुर	2.48		1.86	एन०आर०
15.	मेघालय	2.79	10.00	2.09	एन०आर०
16.	मिजोरम	1.27		0.95	एन०आर०
17.	नागालैण्ड	1.71		1.28	एन०आर०
18.	उड़ीसा	49.01	55.00	27.57	61.80
19.	पंजाब	54.15		40.61	11.56
20.	राजस्थान	179.04	21.00	134.28	240.26
21.	सिक्किम	4.71	5.52	3.53	एन०आर०
22.	तमिलनाडु	59.35	25.00	44.51	31.00
23.	त्रिपुरा	4.49		3.37	एन०आर०
24.	उत्तर प्रदेश	125.12		93.84	एन०आर०
25.	पश्चिम बंगाल	51.32	21.00	38.49	एन०आर०
	कुल:	1197.55	373.08	844.91	1152.10

एन०आर० सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-2

1997-98 के दौरान आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की उपयोगिता की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्र०सं०	राज्य	आपदा राहत कोष से आवंटन निर्मुक्ति	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से निर्मुक्त की गई राशि	उपलब्ध कुल राशि	उपयोग की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	131.05	42.00	161.05	170.43
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.43		7.43	1.84
3.	असम	52.77		52.77	सूचना प्र० नहीं
4.	बिहार	54.83	10.00	64.83	28.79

क्र॰सं॰	राज्य	आपदा राहत कोष से आवंटन निर्मुक्ति	राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से निर्मुक्त की गई राशि	उपलब्ध कुल राशि	उपयोग की गई राशि
5.	गोवा	1.13		1.13	शून्य
6.	गुजरात	147.31	86.90	234.21	207.09
7.	हरियाणा	26.44		26.44	22.87
8.	हिमाचल प्रदेश	28.44	24.80	53.24	सूचना प्रा॰ नहीं
9.	जम्मू व कश्मीर	20.79		20.79	सूचना प्रा॰ नहीं
10.	कर्नाटक	44.16	22.00	66.16	35.59
11.	केरल	58.47	12.91	71.38	71.38
12.	मध्य प्रदेश	53.89	67.76	121.58	191.15
13.	महाराष्ट्र	71.97		71.79	सूचना प्रा॰ नहीं
14.	मणिपुर	2.61		2.61	सूचना प्रा॰ नहीं
15.	मेघालय	2.95		2.95	सूचना प्रा॰ नहीं
16.	मिजोरम	1.33		1.33	सूचना प्रा॰ नहीं
17.	नागालैण्ड	1.80		1.80	सूचना प्रा॰ नहीं
18.	उड़ीसा	51.72	4.00	55.72	47.60
19.	पंजाब	57.15		57.15	28.04
20.	राजस्थान	188.93		188.93	14.20
21.	सिक्किम	4.97	7.00	11.97	2.28
22.	तमिलनाडु	62.63		62.63	20.59
23.	त्रिपुरा	4.75		4.75	सूचना प्रा॰ नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	132.03		132.03	89.13
25.	पश्चिम बंगाल	54.16		54.16	22.24
	कुल:	1263.71	277.37	1528.81	864.88

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से बहुत अधिक उपयोग शामिल हैं।

ICAR Negligence Towards Cash Crops of Andhra Pradesh

3231. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to State:

(a) whether Indian Council of Agricultural Research is not giving adequate attention to the major cash crops of Andhra Pradesh;

(b) whether it is a fact that no proposals have come forth from I.C.A.R. to protect chillies, tobacco and cotton from recurring pestilence in Andhra Pradesh;

(c) whether I.C.A.R. and its policies and priorities have to be shifted;

(d) whether any Task Force has been appointed to examine the reasons for negligence by I.C.A.R. of major cash crops and foreign exchange losses like chillies, tobacco and cotton.

(e) whether this negligence is due to adminsitrative bias of I.C.A.R; and

(f) the steps proposed to rectify this anomaly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE: (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir. Indian Council of Acricultural Research is providing full attention to the research priorities of major cash crops in A.P. through All India Coordinated Crop Improvement Programme and its Research Institutes. Need base support is also provided for research and development through AP Cess Fund of ICAR and Centrally sponsored schemes of Deptt. of Agriculture and Cooperation. GOI.

(b) Easily adoptable and economically viable integrated pest management strategies have been devleoped for control of major pests of tobacco, chillies